

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.01.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 05.01.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.प्रभूनाथ यादव पुत्र स्व0 नरेश यादव सा0 चक्की मूसाडोही थाना मधुबन मउ, उ0प्र0** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त **01.रंजीत पुत्र कन्हैया चौधरी सा0 टेंगरा थाना सराय ओपी जिला सिवान बिहार 2.मुन्ना चौधरी पुत्र स्व0 काशीनाथ चौधरी सा0 मीरगंज थाना मीरगंज जिला सिवान बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 96 पाउच 8पीएम फ्रुटी प्रत्येक 180एमएल की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.दिनेश सिंह पुत्र रामस्वार्थ सिंह सा0 रामदयालू भीखमपुरा थाना सदर कोतवाली, मुजफ्फरपुर बिहार** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 पेटी रायल स्टेज, 02 पेटी 08 पीएम, 01 पेटी बण्टी बबली अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 05.01.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 17 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

03.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 05.01.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 118 वाहनों से 116500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

